न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 68/2020 अपील/प्रतापगढ़ (GCMD 2020/00073)
पंजीयन दिनांक– 14.12.2020
निर्णय दिनांक– 27.01.2021

1. श्री शितिन पुत्र श्री अशोक कुमार कंकरेचा, निवासी गोपालगंज, तहसील व जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. श्रीमती प्रियंका पत्नि श्री राजेन्द्र कंकरेचा, निवासी गोपालगंज, तहसील व जिला प्रतापगढ़ (राज.)
3. मधुबाला पुत्री श्री शांतिलाल जैन पति श्री अशोक कुमार कंकरेचा, निवासी गोपालगंज, तहसील व जिला प्रतापगढ़ (राज.)
4. श्रीमती शिखा पत्नि श्री शितिन कंकरेचा, निवासी गोपालगंज, तहसील व जिला प्रतापगढ़ (राज.)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये चिकित्साधिकारी, जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़, (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी, तहसीलदार प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

.....रेस्पोडेन्ट्स

अधिवक्ता :
श्री ऋषभ मेघवाल : अधिवक्ता अपीलान्ट्स
राजकीय अभिभाषक : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956 विरूद्ध जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश क्रमांक/राजस्व/चिकि./आवंटन/12–3/22/98/826 दिनांक 31.08.1998

निर्णय

दिनांक–27.01.2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

के आदेश क्रमांक/राजस्व/चिकि./12–3/22/98/826 दिनांक 31.08.1998 के विरूद्ध दिनांक 14.12.2020 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य बकौल अपीलांट इस प्रकार है कि कस्बा प्रतापगढ़ में स्थित आराजी संख्या 370 रकबा 0.84 हैक्टेयर किस्म नाडी व आराजी संख्या 430 रकबा 0.19 हैक्टेयर भूमि को अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ ने अपने आदेश क्रमांक/राजस्व/चिकि./12–3/22/98/826 दिनांक 31.08.1998 से रेस्पोडेंट संख्या–1 को राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, धर्मशालाओं, ओषधालयों एवं अन्य लोकोपयोगी भवन निमार्ण हेतु राजकीय अनाधिवासित भूमि का आवंटन) नियम 1963 के अंतर्गत 99 वर्ष के लिये लीज पर जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़ की भावी विस्तार योजनाओं हेतु निःशुल्क आंवटन किया गया। रेस्पोडेंट संख्या–1 को आवंटित की गई आराजी संख्या 430 रकबा 0.19 हैक्टेयर में से अपीलांट्स की आराजीयात पर जाने का रास्ता होने के कारण उक्त आवंटन से अपीलांट्स पीडित पक्षकर है। उक्त आवंटन आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई।

उक्त निर्णय/आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री ऋषभ मेघवाल उपस्थित व रेस्पोडेन्ट्स की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 22.01.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट संख्या–1 को चिकित्सालय के भवन के लिये भूमि की आवश्यकता नही है ना ही थी। रेस्पोडेंट संख्या–1 के पत्र दिनांक 22.07.1998 के अनुसार "उक्त भूमि किसी अन्य को आवंटित कर दी जावेगी तो इस जमीन में निर्माण कार्य करेंगे। फलस्वरूप जिला चिकित्सालय भवन डुब में आ जायेगा। अतः जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़ को उक्त जमीन आवंटित

करावें। जिससे इस जमीन में पेड़ पौधें लगाये जाकर चिकित्सालय को डुब से बचाया जा सकें।" आवंटित की गई भूमि आराजी संख्या 370 नाडी की है जो उपरोक्त प्रावधान के अनुसार आवंटन के लिये प्रतिषेध की हुई है तथा आराजी 430 चरागाह है जिसके आवंटन के लिये नियम 7 राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के अनुसार चरागाह से कम कर अन्य उपयुक्त स्थान पर उतने क्षेत्र का चरागाह के लिये आरक्षित किया जाना अपेक्षित है, जो नही किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या–1 को पहले से ही आराजी संख्या 369–370–430 कुल किता 3 रकबा 5.0500 हैक्टेयर भूमि आवंटित कर रखी है। नियम 2 के अनुसार 5 एकड से अधिक भूमि आवंटित नहीं की जा सकती है। उक्त भूमि पर कस्बे के मवेशी चरते है, नाडी से पानी पीते है तथा अपीलांट्स के खातेदारी की आराजी संख्या 431 से 437 तक जाने के लिये रास्ते के काम आ रही है एवं अन्य लोगों के लिये भी रास्ता है। आवंटित की गई भूमि आवंटन योग्य नहीं होने उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि आवंटित करने में विधिक भूल की है। आवंटन के 22 वर्ष पश्चात भी आराजी संख्या 430 का कोई उपयोग नहीं किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक विनिश्चय 2020 (1)CT(RAJ) का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स की ओर से राजकीय अभिभाषक का कथन है कि जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ ने अपने आदेश क्रमांक/राजस्व/चिकि./12–3/22/98/826 दिनांक 31.08.1998 से रेस्पोडेंट संख्या–1 को कस्बा प्रतापगढ़ में स्थित आराजी संख्या 370 रकबा 0.84 हैक्टेयर किस्म नाडी व आराजी संख्या 430 रकबा 0.19 हैक्टेयर भूमि राजस्थान भू–राजस्व राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, धर्मशालाओं, ओषधालयों एवं अन्य लोकोपयोगी भवन निमार्ण हेतु राजकीय अनाधिवासित भूमि का आवंटन) नियम 1963 के अंतर्गत 99 वर्ष के लिये लीज पर जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़ की भावी विस्तार योजनाओं हेतु निःशुल्क आंवटन किया गया है। उक्त किया गया आवंटन सही होकर विधिपूर्वक किया गया।

प्रकरण में हम सर्वप्रथम मियाद आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्व जनाकारी अपीलांट को होने की कोई साक्ष्य नही है अतः

न्यायाहित में अपीलांट के आवेदन एवं अखण्डित शपथ पत्र के आधार पर मियाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अब हम अपीलांट के दफा 96 जाप्ता दीवानी के आवेदन पर विचार करना उचित समझते है। अपीलांट द्वारा अपने दफा 96 जाप्ता दीवानी के आवेदन में यह वर्णित किया है कि अपीलाधीन भूमि पर कस्बे के मवेशी चरते है, नाडी से पानी पीते है तथा प्रार्थी के खातेदारी की आराजी नम्बर 431 से 430 तक जाने के लिए यह भूमि रास्ते के रूप में काम आती है तथा अन्य लोगों के लिए भी रास्ता है। आराजीयात में प्राथीगण का रास्ता होने से आवंटन से प्रार्थी पीडित पक्षकार है।

उपरोक्त आवेदन के विरूद्ध रेस्पोडेंट द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा उपरोक्त आवेदन के प्रमाणन हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, अतएवं उसके पीडित पक्षकान नहीं होने से उसे पीडित पक्षकार नहीं माना जा सकता है। अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती है।

हमारे द्वारा अपील आवेदन कथनोपकथन व रेकर्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि विवादित आवंटन करीब 22 वर्ष पूर्ण जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़ को किया गया है। अपीलांट को अपने आवेदन को प्रमाणित करने के लिए स्वयं साक्ष्य प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। प्रकरण में भूमि चरागाह होने बाबत अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली अनुसार पूर्व में ही एक विवाद **इस न्यायालय के पूर्वाधिकारी राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने प्रकरण संख्या 3/1999 निर्णय दिनांक 07.03.1999 से पेरा 6 में निम्नानुसार यह वर्णित किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (राजकीय कृषि भूमि कम स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालय, धर्मशाला एवं अन्य लोकोपयोगी) आवंटन नियम 1963 के नियम 4 के अंतर्गत आवंटन हेतु सक्षम अधिकारी जिला कलक्टर को दर्शाया गया है एवं केवल उन्हीं मामलों में राज्य सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक है जो किसी संस्था, प्राईवेट बॉडी द्वारा चाही गई है। चूंकि प्रस्तुत मामले में भूमि राजकीय चिकित्सालय के विस्तार हेतु चाही गई है जिसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं रहती है। जहां तक चरागाह से भूमि कम करने का प्रश्न है, जिला कलक्टर सार्वजनिक भूमि हेतु किसी भी भूमि को सेट अपार्ट करने हेतु सक्षम है, इसलिये**

<u>यही माना जावेगा कि लाकोपयोगी कार्य हेतु भूमि चरागाह से कम कर आवंटन करने में कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है।</u>

इससे यह स्पष्ट होता है कि भूमि के चरागाह अथवा नाडी बाबत अब पुनर्विवाद किया जाना विबंधित होकर न्यायोचित नहीं है। प्रकरण में भूमि पर मवेशियों के चरने अथवा नाडी से पानी पीने की कोई साक्ष्य नही है। प्रकरण में प्राथमिक रूप से प्रमुख उज्र यही है कि प्रार्थीगण के खातेदारी आराजी नम्बर 431 से 430 से जाने के लिए रास्ते के रूप में काम आ रही है व अन्य लोगों के लिए रास्ता है। प्रकरण में विवादित भूमि के रास्ता होने अथवा आराजी नम्बर 431 अपीलांट की खातेदारी होने बाबत अपीलांट द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलांट द्वारा अपने भारसिद्ध दायित्व वह उक्त आवंटन से जो कि 22 वर्ष पूर्व राजकीय जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़ को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ किया गया है उससे व्यथित होकर आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार है ऐसा कोई प्रभावी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतएवं अपीलांट का दफा 96 जाप्ता दीवानी का आवेदन अस्वीकार किया जाता है एवं परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

एल.एन.मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

एल.एन.मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर